

आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार रोनी आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 436/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

हिन्दुजा हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय- 212-214, द्वितीय तल, एवरशाईन टॉवर,
वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सचिन खण्डेलवाल,
2. श्रीमती प्रतिक्षा गुप्ता,

पता:- बी-84, लक्ष्मी नारायणपुरी, सूरजपोल गेट के बाहर, जयपुर।

अन्य पता:- प्लेट नं. 105, भूतल, यश अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. टी-56, टी-57 एवं टी-58, नारायण
विहार, श्रृंगारपुरा, सांगानेर, जयपुर।



Application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002


अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित:- श्री प्रगोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.07.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सचिन खण्डेलवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. टी-56, टी-57 एवं टी-58, नारायण विहार, श्रृंगारपुरा, सांगानेर, जयपुर पर स्थित यश अपार्टमेन्ट के भूतल पर स्थित प्लेट नं. 105, कुल क्षेत्रफल 1140 वर्गफीट को बंधक रख कर दिनांक 28.06.2023 को राशि 33,00,000/- रुपये, दिनांक 30.05.2024 को राशि 75,500/- रुपये, कुल राशि 33,75,500/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.01.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।



जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 33,75,500/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 34,77,591/—रूपय की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.01.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री सचिन खण्डेलवाल के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. टी-56, टी-57 एवं टी-58, नारायण विहार, श्रृंगारपुरा, सांगानेर, जयपुर पर स्थित यश अपार्टमेन्ट के भूतल पर स्थित प्लेट नं. 105, कुल क्षेत्रफल 1140 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से

कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।




(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर